तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 10/2024 जोरन बनाम राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दिनांक 26/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो। Shanti	
29/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० नि० हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Shanti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र क्रमांकः— 10 / 2024

1. चरन पुत्र रतन जाति गूजर निवासी खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः—29.08.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 738 / 0.12है0 वाके ग्राम खरैरा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी को मुझ प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा के खरीद कर लिया था तथा उक्त वयनामा कर लिया था तथा वक्त वयनामा उक्त आराजी का इन्द्राज जमावन्दी में जरिये वयनामा मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया है तथा उक्त आराजी पर वक्त वयनामा से आज तक में वादी / प्रार्थी निरन्तर काविज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। उक्त आराजी की किस्म सम्वत् 2012 से सैटलमेंन्ट होने तक गैर मुमकिन चाह पुख्ता दर्ज रिकार्ड थी एवं उक्त आराजी हमेशा से चाह पुख्ता ही रही है लेकिन दौराने सैटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त आराजी की किस्म चाह के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता गलत दर्ज कर दी तथा आज वर्तमान में उक्त आराजी की हाल रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता खिलाफ मौका एवं कानून के दर्ज है। रिकार्ड में हुयी अशुद्धि की जानकारी मुझ प्रार्थी को जमावंदी की नकल लेने पर हुयी एवं उक्त की शुद्धि हेतु प्रार्थी जव अप्रार्थी के पास गया तो उनके द्वारा शुद्धि से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर खसरा नम्बर 738 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर पुराने रिकार्ड के आधार पर चाह पुख्ता दर्ज करके रिकार्ड दुरस्ती की आज्ञा पारित की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 738 रकवा 0.12है0 किस्म गै0मु0रास्ता मुताविक जमावंदी संवत् 2075—78 वाके ग्राम खरैरा में चरन पुत्र रतन जाति गूजर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर 738 रकवा 0.

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

12है0 गै0मु0आबादी के ख.नं. 1442 रकवा 3.48है0 से लगा हुआ है एवं दिशा दक्षिण की ओर ख.नं. 726 रकवा 0.39है0 गै.मु.रास्ता जो पोखर (ख.नं. 665 किस्म गै.मु.पोखर) की ओर जाता है। जबकि ख.नं. 738 खातेदारी का नम्बर है व ख.नं. 726 से सटा हुआ है। ख.नं. 738 में पत्थरों से कुछ हिस्से में दासेबंदी हो रही है एवं कुछ हिस्सा खाली है जिसमें ख.नं. 726 के सहारे ढक्कर/पत्थर डाल रखे है। वर्तमान में उक्त रास्ता बंद है। जबकि ख.नं. 726 जो पोखर की तरफ जाता है, चालू है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया था। सम्बत् 2012 से सैटलमेन्ट होने तक उक्त विवादित आराजी गैर मुमकिन चाह पुख्ता दर्ज रिकार्ड रही है। दौराने सैटलमेन्ट उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों ने गैर मुमकिन रास्त दर्ज कर दिया है जो कि खिलाफ मौका एवं कानुन है। खसरा नम्बर 738 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर पुराने रिकार्ड के आधार पर चाह पुख्ता दर्ज करके रिकार्ड दुरस्ती किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश जबाव एवं पटवारी की मूल रिपोर्ट के साथ पेश नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर 738 से होकर रास्त निकलता है जो कि ख.नं. 726 से होते हुये ख.नं. 665 तक जाता है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सम्बत् 2012 की जमाबंदी पेश नहीं की गई है एव ना ही ऐसा कोई दस्ताबेजी साक्ष्य पेश किया गया है जिसके की स्पष्ट हो सके की प्रार्थी के खसरा नम्बर में गैर मुमकिन चाह के स्थान पर गैर मुमकिन रास्त कब और किस आदेश के तहत दर्ज किया गया है। दस्ताबेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर